मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–2/2012./सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 18/01/2012

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर ,म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

DAK
3/4/2012

विषयः–टी चौइथराम हास्पिटल इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच /उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्द्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम –2 (च) के अन्तर्गत **टी चौइथराम हास्पिटल इन्दौर** को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्तो पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

| संक. | समिति द्वारा अनुशंसित उपचार/जांच | समिति द्वारा अनुशंसित दरें |
|---|---|---|
| | **Radiation Therapy on primus Linear Accelerator unit from simens** | |
| 1. | IMRT (intensity Modulated Radiation Therapy) | रू. 95,000/– |
| 2. | 3 D Conformal Therapy | रू. 60,000/– |
| 3. | 2 D Complex Conventional Radiotherapy | रू. 45,000/– |
| 4. | 2 D Simple Conventional Radiotherapy | रू. 40,000/– |
| 5. | Conventional Radiotherapy-A | रू. 35,000/– |
| 6. | palliative radiotherapy single | रू.20,000/–(RS.2,000/- Single Fraction maxiem 10 Fraction) |
| 7. | Electron Therapy per Fraction | रू. 600/– |
| | **Brachytherapy** | |
| 1. | Intracavitory (ICRT) Single Fraction | रू. 5,000/– |
| 2. | Sorbo Application Single Fraction | रू. 4,000/– |
| 3. | Intra Luminal Brachytherapy(ILRT) Single Fraction | रू. 6,000/– |
| 4. | Bronchus (ILRT) | रू. 6,000/– |
| 5. | Radioisotope [illegible] | रू 12,000/– |
| 6. | Intracavitary [illegible] | रू. 10,000/– |
| 7. | Mould [illegible] | रू. 10,000/– |

CHOITHRAM HOSPITAL & RESEARCH CENTRE * INDORE *
INWARD
No. 37
Date 4 APR 2012

निरन्तर.....2

2/– यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :–

1– चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाऐं म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी

2– चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।

3– मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

4– जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

5– संचालक चिकित्सा सेवाऐं व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय –समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगें।

6– जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एवं समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीसिन और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगें जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन तथा मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (जैसा विशेषज्ञ) करेंगें ।

7– उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण कराने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।

8– उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।

9– संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्हीं दरों पर सेवा की जावेगी ।

10–संस्थान को निर्धारित दरों एवं शर्तों के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

3/–यह स्वीकृति जिला चिकित्सा के आदेश क्रमांक 41/12/2106/11/नि/चार, दिनांक 07/01/2012 द्वारा दी गई अनुशंसा के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(डी.डी.चक्रनारायण)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9–2 / 2012 / सत्रह / मेडि–3 भोपाल,दिनांक 18/01/2012

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 / 2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव म.प्र.शासन वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 41 / 12 / 2106 / 11 नियम / चार,दिनांक 3 / 01 / 2011 के संदर्भ में अग्रेषित ।

3– संचालक, चिकित्सा सेवाएं / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

4– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।

5– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. भोपाल ।

6– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय , इन्दौर म.प्र.।

7– संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर, म.प्र.।

8– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पतालअधीक्षक, इन्दौर

9– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।

10– संचालक, श्री बैद्यनाथ आरोग्य इन्दौर ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग